

विदेश मंत्रालय, भारत

प्रपत्र संख्या 13

केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980

सरकारी सेवा ग्रहण की तारीख	सीजीईजीआईएस योजना में प्रवेश की तारीख	जिस समूह में प्रवेश दिया गया	मासिक अंशदान की दर (रूपए)	अवधि से	अवधि तक	कॉलम (3) को प्रभावित करने वाली घटनाओं सहित तारीख	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7	8

विदेश मंत्रालय

केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना, 1980 के तहत लाभ के लिए नामांकन

जब सरकारी सेवक का परिवार है और वह एक व्यक्ति या एक से अधिक व्यक्ति को लाभार्थी के रूप में नामित करना चाहता है।

मैं एतद् द्वारा नीचे उल्लिखित व्यक्ति (व्यक्तियों), जो मेरे परिवार के सदस्य हैं, को, नीचे प्रदर्शित सीमा तक की कोई भी राशि जिसे मेरी मृत्यु हो जाने की स्थिति में केंद्रीय सरकार कर्मचारी समूह बीमा योजना 1980 के तहत केंद्र सरकार द्वारा संस्वीकृत की जाए अथवा जो राशि मेरे अधिवर्षिता की आयु प्राप्त कर लेने पर देय हो और मेरी मृत्यु के समय भुगतान किए जाने हेतु शेष हो, एतद्वारा नामित करता हूँ और इस राशि को प्राप्त करने का अधिकार प्रदान करता हूँ।

नामित (नामितों) का/के नाम व पता/पते	सरकारी सेवक के साथ संबंध	नामित व्यक्ति (व्यक्तियों) की आयु	प्रत्येक नामित व्यक्ति को देय हिस्सेदारी	आकस्मिकताएं जिनके होने पर नामांकन अमान्य हो जाएगा	व्यक्ति/उन व्यक्तियों का/के नाम, पता/पते तथा संबंध, यदि कोई हों जिन्हें नामित व्यक्ति होने का अधिकार मिलेगा यदि सरकारी सेवक से पहले ही नामित व्यक्ति की मृत्यु हो जाए।

नई दिल्ली में.....2004 को.....दिन

दो गवाहों के नाम

1. सरकारी सेवक का हस्ताक्षर
2. नाम.....
पदनाम.....

* कॉलम को इस प्रकार भरा जाए ताकि इसमें वह पूरी राशि शामिल हो जो बीमा योजना के तहत देय हो।